

निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,
झालावाड़

मि0न0 103/प्रा0पत्र/22

तारीख दायरा 14.12.2022

उनवान प्रा0पत्र

राज0 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक

जिला रसद कार्यालय, झालावाड़

प्रार्थी

बनाम

श्री नितेश जैन (फर्म ऑटो पार्ट्स)

नि0 सूरजपोल नाका झालरापाटन, झालावाड़

अप्रार्थी



प्रा0अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त 09 अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित:- पेरोकार रसद

-: निर्णय :-

दिनांक: 05.03.2024

यह प्रा0पत्र जिला रसद कार्यालय झालावाड़ के प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र मेंमें में निवेदन किया है कि दिनांक: 25.11.2022 को मौका स्थल पर पहुंचे जहां घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग एवं अवैध रूप से भण्डारण किया जाना प्रतीत होना पाया गया। मौके पर अप्रार्थी श्री नितेश जैन नि0 सूरजपोल नाका झालरापाटन उपस्थित मिले। वक्त जांच तलाशी लेने पर 09 घरेलू एलपीजी एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जब्त 09 घरेलू एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर को मेसर्स दुर्गादेवी गैस एजेन्सी झालरापाटन के उपस्थित प्रतिनिधी श्री मनोज गुप्ता की सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर अलग से बनाया गया। अनुदानित घरेलू गैस का अवैध उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लज 3(1) (सी), 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा दिनांक: 02.02.2023 को जयें अधिवक्ता लिखित जवाब प्रस्तुत कर अंकन किया कि प्रार्थी के यहां से जप्त गैस सिलेण्डरों में से 02 सिलेण्डर स्वयं अप्रार्थी के एवं 07 सिलेण्डर पड़ोसियों व मिलने वालों के है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अपराध आरोप कारित नहीं किया गया है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया है अतः अप्रार्थी के विरुद्ध की गई कार्यवाही को ड्रॉप फरमाकर जो सिलेण्डर जब्त किये गये हैं वापस दिलवाने के आदेश फरमावें।

बहस सुनी गई। पेरोकार रसद द्वारा दौराने बहस व्यक्त किया कि प्रवर्तन स्टाफ घरेलू गैस सिलेण्डरों व अन्य सामग्री के अवैध व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये जांच हेतु मौका स्थल पर पहुंचे। वक्त जांच तलाशी लेने पर 09 घरेलू एलपीजी एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

जिला कलक्टर
झालावाड़



अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (सी), 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत अभिग्रहित सामान को राजसात किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा अप्रार्थी की यहां की गई कार्यवाही के दौरान तलाशी लेने पर 09 घरेलू एलपीजी एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि घरेलू गैस सिलेण्डर घरेलू उपभोक्ताओं के उपयोग के लिये है, दौराने तलाशी गैस 09 सिलेण्डर के साथ मिलने से यह जाहिर है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करता है। अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के 09 घरेलू गैस सिलेण्डर रखना घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से दुरुपयोग करने की श्रेणी में आता है। इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप व्यायासायिक उपयोग लिया जाता है। अप्रार्थी का यह कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (सी), 4(1)(सी) का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्य मान्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 09 घरेलू एलपीजी एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर को राजसात किया जाता है, साथ ही राजसात किये गये गैस सिलेण्डर को संबंधित तेल/गैस कम्पनी को लौटाये जाने तथा इनको नये जारी होने वाले गैस कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को जारी कर इससे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक: 05.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



5/3/24
(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलेक्टर
झालावाड़